हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.17/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

08.9.2022

पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी बाबूलाल पुत्र फूसाजी चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– हनुमान चौक के पास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बाबूलाल फूसाजी कलबी, हनुमान चौक के पास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित।

आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी बाबुलाल के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.8.2021 को फर्म बाबूलाल फूसाजी कलबी, हनुमान चौके पास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी खाद्य कारोबारकर्ता बाबूलाल पुत्र फूसाजी चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– कोजरा, तह. पिण्डवाडा, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का नमूना संख्या S-1463 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./486/Act/2021/584 दिनांक 25.8.2021 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी बाबूलाल को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

प्रकरण में प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान की दिनांक 31.8.2022 को बहस सुनी गई। जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ग्राम कोजरा में दूध डेयरी का व्यवसाय करता है तथा प्रतिवादी गांव के पशुपालको से दूध खरीद कर बेचता है। प्रतिवादी ने दूध में किसी प्रकार की मिलावट नही की है जो आगे से दूध आता है उसी स्थिति दूध को डेयरी पर बेचता है। प्रतिवादी गरीब व्यक्ति है, जिसका व्यापार छोटा सा है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.8.[illegible] 6.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म [illegible]लाल फूसाजी कलबी, हनुमान चौक के पास, को[illegible] जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता [illegible] की हैसियत से प्रतिवादी

....ल[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:53 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

सिरोही (राज.)

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.17/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	बाबुलाल पुत्र फूसाजी चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– हनुमान चौक के पास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को मिक्स्ड मिल्क बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले मिक्स्ड मिल्क के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिवादी बाबूलाल को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर फ्रिज में टिन के केन में बिक्री हेतु रखे हुए मिक्स्ड मिल्क लगभग 40 लीटर को अच्छी तरह हिला मिलाकर एक रुप किया एवं इस एकरुप किये हुए मिक्स्ड मिल्क में से 2 लीटर मिक्स्ड मिल्क को जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं मिक्स्ड मिल्क की कीमत राशि रुपये 80/– (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) प्रतिवादी बाबूलाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाह को चार साफ, सूखे, खाली शीशीयां दिखाई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1463, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिक्स्ड मिल्क को चारों शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों नमूना शीशीयों में 40–40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना जार पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1463 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता बाबूलाल व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय [illegible] अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म [illegible] की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना [illegible] नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म न. VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:53 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.17/2022	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुआ

18.8.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 17.8.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म बाबूलाल फुसाजी कलबी, हनुमान चौक के पास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता बाबूलाल से खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से मिक्स्ड मिल्क के नमूना संख्या S-1463 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./486/Act/2021/584 दिनांक 25.8.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी बाबूलाल पुत्र फूसाजी चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– हनुमान चौक के पास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बाबूलाल फूसाजी कलबी, हनुमान चौक के पास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स्ड मिल्क का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी बाबूलाल पुत्र फूसाजी चौधरी, जाति– चौधरी, निवासी– हनुमान चौक के पास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बाबूलाल फूसाजी कलबी, हनुमान चौक के पास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी बाबूलाल को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि [illegible] राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सि[illegible] में Crossed Demand Draft जिसका [illegible] प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय[illegible] मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में [illegible] करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होक[illegible] नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 04.10.2022 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:53:53 IST
Reason: SelfAttested